an>

Title: Need to amend the guidelines of Pradhan Mantri Awas Yojana.

कर्नल सोनाराम चौधरी (बाड़मेर) ः मैं सरकार द्वारा चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (पी.एम.ए.वाई.) के संबंध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूँ। यह मोदी सरकार की एक ऐतिहासिक योजना है। मानव जीवन में मूलभूत आवश्यकता है-रोटी, कपड़ा और मकान। इस योजना के तहत 2019 तक ग्रामीण क्षेत्र में 2 करोड़ एवं शहरी क्षेत्र में एक करोड़ मकान उपलब्ध करवाना है। इसके लिए युद्ध स्तर पर प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शंस कार्य हो रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर-जैसलमेर में योजनाबद्ध तरीके से कार्य हो रहा है। परंतु इस योजना में सरकार की मंशा के अनुसार लागू करने में कुछ कठिनाइयां आ रही है जो देश में अन्य स्थानों पर भी होंगी। मेरे द्वारा बाड़मेर-जैसलमेर जिले में दिशा की पिछली 2-3 बैठकों में फीडबैक लिया गया और उसी अनुभव के आधार पर कुछ कमियां रही हैं जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है, ताकि हकदार परिवार लाभांवित हो सकें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ग्राम पंचायत स्तर पर कई बार राजनैतिक कारणों से सही सर्वे नहीं होता है। कुछ धरातल पर कमियां हैं उस पर गौर करना जरूरी है। हालांकि पी.एम.ए.वाई. के लिए भारत सरकार की गाईडलाइंस काफी विस्तार से हैं, फिर भी नीचे लिखे बिंदुओं पर ध्यान देकर भारत सरकार को गाईडलाइंस में कुछ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। मेरी तरफ से कुछ ऑब्जरवेशन एंड सजेशन निम्न प्रकार हैं- ए) लाभांवितों के चयन का आधार सामाजिक एवं आर्थिक जनगणना 2011 है, जिसका सर्वे सही नहीं हो पाया है। कई परिवार वंचित रह गये हैं। बी) सर्वे में अंकित परिवारों के नाम को ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित करवाया था जिसमें कई परिवारों को व्यक्तिगत एवं राजनैतिक द्वेषवश वंचित रख दिया गया है। सी) सर्वे 2011 में हुआ है गत 5 वर्षों में कई परिवार अलग हुए हैं, जिनको इन लाभांवितों की संख्या में सम्मिलित नहीं किया गया है। डी) कई जिलों में 2011 के सर्वे के आंकड़े लेकर सारे रिकॉर्ड बंद कर दिये, परिणामस्वरूप हकदार एवं वंचित परिवारों को शामिल नहीं किया जा रहा है। ई) कई अधिकारी 2011 के सर्वे आंकड़ें मानकर सही आपत्तियों पर कोई गौर नहीं कर रहे हैं, जिससे सही परिवार वंचित रह रहे हैं। इस पर ध्यान दिया जाये यदि आवश्यक हो तो सर्वे दोबारा होना चाहिए।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि हकदार गरीब जो वंचित रह रहे हैं जैसे कि मेरे संसदीय क्षेत्र में 2,85,099 प्रकरणों में अपील प्राप्त हुई है, जिन पर कोई विचार नहीं किया जा रह है। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईडलाइंस में संशोधन की आवश्यकता है, जिस पर मेरे सुझाव निम्न प्रकार से है- 1) यदि अन्य राज्यों से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं तो उन पर गौर किया जाना चाहिए। 2) एक स्वतंत्र एजेंसी (अपीलाधिकारी) की नियुक्ति कर वंचितों को अपील करने एवं उनकी अपील पर नियमानुसार विचार कर सूची में शामिल करने का प्रावधान किया जाये।

अतः मेरा प्रधानमंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री एवं शहरी आवास मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की गाईडलाइंस में उक्तानुसार संशोधन कराएं या फिर कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाये ताकि केंद्र सरकार की मंशानुसार वंचित, दलित, गरीब का अपना घर का सपना साकार हो सके।